

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 1482/ FP/UK/ROAD/35909/2018 देहरादून: दिनांक 21 जनवरी, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली धटधार थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में।

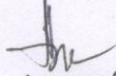
Online proposal No-FP/UK/ROAD/35909/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1जी- FP/UK/ROAD/35909/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अ०ख० लो०नि०वि०, श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर।

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली धटधार थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में।

Online proposal No-FP/UK/ROAD/35909/2018

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टिहरी वन प्रभाग में (जाखणीधार) 0.569 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.483 हे० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 1.052 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली धटधार थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

तिथि : 21/01/2019

स्थान : देहरादून